


05.02.2024:—आज पत्रावली पेशी मे लि गई । प्रार्थी वकील
उपस्थित । मूल वाद-पत्र राजीनाम अधार पर
खारिज हो गया । मूल वाद पत्र खारिज होने के
कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रहे
जाती । मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी
उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफतर हो ।

Web Copy - Not Official



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

